

2021/1587

पत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

प्रार्थी

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासन गौरी के संग  
अतिमान - 2021

होदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडा राजपुरा की  
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 203  
में गैरा नाम श्रवण उज्ज्वल सिंह सही नाम श्रवण

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

नाक:- 25/11/21

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

होदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडा राजपुरा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् .....से..... के  
खाता संख्या 203 में प्रार्थी का नाम श्रवण दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
रिपोर्ट व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम श्रवण है। जो संशोधित किया  
जा उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

जयशंकर

भू.अ.नि.

दि. 08/12/21  
11/12/21

पटवारी  
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
रिपोर्ट पटवारी श्रवण व भू0अ0नि0 जयशंकर एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
खेडा राजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 203 में प्रार्थी का  
श्रवण के बजाय श्रवण किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

12/12/21

पुनः 1508/21  
12/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा, ग्राम खेडा राजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075 78 खाता  
203 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रवण के स्थान पर श्रवण संशोधन के  
दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी  
प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)